E-mail/Speed post/By hand

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001
E-mail-info.udduk@gmail.com, दूरभाष–0135–2749541, फैक्स–0135–2749542

कार्यालय ज्ञाप

शासन की अधिसूचना दिनांक 24–06–2019 से पूर्व विद्यमान/प्रचलित उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली–1966 में पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त संवर्गो के नियुक्ति प्राधिकारी शासन था। उक्त के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–214/IV(1)/2017–01 (15)/2016, दिनांक 27–02–2017 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत कार्यरत कर एवं राजस्व अधीक्षकों (वेतनबैण्ड रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे रू0 4200/–) तथा कर एवं राजस्व निरीक्षकों (वेतनमान रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे रू0 2800/–) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची /निर्गत करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गई।

2– शासन की अधिसूचना दिनांक 24–06–2019 द्वारा उक्त नियमावली के स्थान पर उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2019 प्रख्यापित की गई। उक्त नियमावली–2019 के नियम–3क के अनुसार समूह "ग" के कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड हैं। उक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र ई–पत्र दिनांक 20–07–2020 द्वारा निदेशक, शहरी विकास को पालिका राजस्व सेवा संवर्ग के कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करने के आदेश पारित किये गये। शासन द्वारा उक्त सेवा संवर्ग की पूर्व निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–02–2017 के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनका शासन के पत्र संख्या–557/ iv(1)/2020–01(15)/2016 दिनांक 16–12–2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं पारित आदेशों के आलोक में निम्नवत निस्तारण किया गया:–

आपत्तिकर्ता का नाम	प्राप्त आपत्ति	आपत्तियों का निस्तारण
1– श्री महेन्द्र कुमार यादव कर अधीक्षक/ तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश (आपत्ति पत्र दिनांक 23–05–2017)	निदेशालय के पत्रांक 2328/श0वि0नि0/ विविध ज्येष्ठता–37 (केन्द्री0से0) /05 दिनांक 06–03–2017 पत्र जो आज दिनांक 20–05–2017 को नगर पालिका ऋषिकेश की मेल से प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में आपको अवगत कराना है कि राजस्व सेवा की वरिष्ठता सूची का अन्तिम रूप से प्रकाश दिनांक 10–01–2017 को किया जा चुका था, जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमांक संख्या–06 पर अंकित है। परन्तु प्राप्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक–08 पर अंकित है। जिसके संबंध में मेरी क्रमांक– 1 व 2 पर अंकित कार्मिकों की वरिष्ठता पर घोर आपत्ति हैं। उक्त दोनों कार्मिक मुझसे कनिष्ठ है। इस कारण उक्त दोनों कार्मिकों को मेरे पश्चात् रखा जाये। इस के अतिरिक्त अवगत कराना है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते समय मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1105/96 रामगणेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17, दिसम्बर 1996 के	शासन की अधिसूचना दिनांक 24–06–2019 से पूर्व विद्यमान उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 में पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त संवर्गो के नियुक्ति प्राधिकारी शासन था। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–214 दिनांक 27–02–2017 द्वारा पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर एवं राजस्व अधीक्षकों ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा कर एवं राजस्व निरीक्षकों ग्रेड वेतन रू0 2800/– की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन स्तर से जारी की गयी। उक्त सूची को शासन के निर्देशों के क्रम में निदेशालय के पत्र दिनांक 06–03–2017 द्वारा संबंधितों को शासन के आदेशों के क्रम में परिचालित किया गया। कतिपय कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सूची उन्हें प्राप्त नहीं हुई। पुनः उक्त सूची दिनांक 19–05–2017 को संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से परिचालित की गई। शासन द्वारा निर्गत उक्त ज्ञाप दिनांक 27 फरवरी 2017 के आलेख में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का उल्लेख है जबकि संलग्न सूची में अन्तिम ज्येष्ठता सूची (त्रुटिपूर्ण टंकण) अंकन है। स्पष्ट है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–02–2017 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई।

	दृष्टिगत एवं पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1996 (उत्तराखण्ड में यथा –प्रवृत्त) के नियम 21(क)(9) तथा नियम–24 में निहित प्राविधानों तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 उत्तराखण्ड सरकार ज्येष्ठता (प्रथम) संधोधन नियमावली–2009 में निहित प्राविधनों को दृष्टिगत रखते हुय ज्येष्ठता का निर्धारण किया गया था। परन्तु पुनः अनन्तिम सूची जारी करते समय उपरोक्त निर्णय/सेवानियमावली के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए पुनः सूची जारी की गयी है। जो स्वयं में विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः उपरोक्तानुसार परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमांक संख्या 01 एवं 02 को मेरे प्रश्चात् अंकित किये जाने संबंधी आदेश/निर्देश संबंधित को देने का कष्ट करें।	2. शासन की अधिसूचना दिनांक 24–06–2019 द्वारा उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई। उक्त नियमावली–2019 के नियम–3क के अनुसार समूह "ग" के कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक शहरी विकास निदेशालय को बनाया गया है। शासन द्वारा पूर्व प्रख्यापित उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–02–2017 पर प्राप्त समस्त आपत्तियों के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 1582 दिनांक 19–08–2020 द्वारा बिन्दुवार शासन को तथ्यों/स्थिति से अवगत कराते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक–01 व 02 पर अंकित कार्मिकों की ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में शासन से दिशा–निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। **उपरोक्त पत्र दिनांक 19–08–2020 के क्रम में शासन के पत्रांक 557, दिनांक 16–12–2020 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–185, दिनांक 10 फरवरी, 2017 द्व ारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–02–2017 के क्रमांक–01 पर अंकित कार्मिक श्री राजेश नैथानी एवं क्रमांक–02 पर अंकित कार्मिक श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एवं राजस्व निरीक्षक को शासन द्वारा उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमित करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण की गई हैं। शासन द्वारा आदेश पारित किये गये कि क्रमांक 01 एवं 02 पर अंकित कार्मिकों के संबंध में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2017 के आलोक में निराकरण कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जाये।** शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2017 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24–12–2014 को निरस्त करते हुए श्री **राजेश कुमार नैथानी, एवं श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एव राजस्व अधीक्षक को उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त के नियम–21 (क) नियम–23 एंव नियम–41 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की तिथि से स्थाई/ विनियमित करते हुए समस्त लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।** इस प्रकार आपत्तिकर्ता की आपत्ति शासन के उपरोक्त निर्णय एवं शासन के पत्र दिनांक 16–12–2020 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उक्तानुसार निस्तारित की जाती हैं।
2–श्री अजहर अली,	पत्रांक 2328/श0वि0नि0/विविध ज्येष्ठता–37 (के0सेवा) दिनांक 06 मार्च 2017 द्वारा जारी	अभिलेखों के अनुसार शासन द्वारा पूर्व में कर एवं राजस्व अधीक्षकों/कर निरीक्षकों की निर्गत अन्तिम

कर एवं राजस्व अधीक्षक सम्प्रति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मंगलौर (आपत्ति पत्र दिनांक 27–05–2017)	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जिस पर 15 दिवस के अंतर्गत आपत्ति मांगी गयी थी, के विषय में आपको अवगत कराना है कि :– 1- उपरोक्त दिनांक 06 मार्च 2017 को निदेशालय द्वारा जारी पत्र में आपत्ति किये जाने हेतु नियत समय 15 दिन की अवधि तक उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, न तो डाक द्वार और न ही ईमेल द्वारा दिनांक 06 मार्च 2017 से 21 मार्च 2017 तक कुल 15 दिन की अवधि तक की नगर पालिका मंगलौर की ऑफीशियत ईमेल आईडी nppmanglor@gmail. com के स्क्रीन शॉट की छायाप्रति सलग्न हैं। जिस कारणवश जो समय आपत्ति के लिये उक्त पत्र में दिया गया है, वह प्रार्थी पर लागू नही होता है। 2- उक्त पत्र नगर पालिका परिषद मंगालौर की ईमेल आईडी: nppmanglor @gmail.com पर दिनांक 19 मई, 2017 को भेजा गया (ईमेल इन्बाक्स की फोटोप्रति संलग्न) उक्त पत्र के साथ शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या– 214/iv (i)/ 2017–01 (15) /2016 दिनांक 27–02–2017 संलग्न है, जिसमें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का उल्लेख किया गया है। एवं 15 दिन का समय दिया गया है। साथ ही वरिष्ठता सूची संलग्न की गई है, जिस पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची दर्जे है। उक्त के संबंध में प्रार्थी को घोर आपत्ति है। चूंकि शासनादेश संख्या –54/iv(i)/2017–01(15)/2016 दिनांक 10–01–2017 द्वारा उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकायों में मौलिक रूप से नियुंक्त/कार्यरत पालिका राजस्व सेवा के कर एवं राज्स्व अधीक्षक (वेतनमान 9300–3400 ग्रेड पे रू0 4200) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची का निर्धारण किया जा चुका था, जिसमें प्रार्थी की वरिष्ठता तृतीय स्थान पर निर्धारित है। 3- दिनांक 27 फरवरी, 2017 को जारी की गयी वरिष्ठता सूची में प्रार्थी की वरिष्ठता तृतीय स्थान से हटाकर 5 वे स्थान पर कर दी गयी एवं दिनांक 10 जनवरी, 2017 को	ज्येष्ठता सूची दिनांक 10–01–2017 किया गया था। तदोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2017 द्वारा श्री राजेश कुमार नैथानी, श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एवं राजस्व अधीक्षक को पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश 24–12–2014 को निरस्त करते हुए उक्त कार्मिकों को तत्समय प्रभावी उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली–1966 के नियम–21(क) नियम–23 एवं नियम–41 के अंतर्गत उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से स्थाई/विनियमित करते हुए समस्त सेवा लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–02–2017 द्वारा पुनः उक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता क्रमांक–01 व 02 पर निर्धारित करते हुए उक्त संवर्गीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत कर आपत्तियॉं आमंत्रित की गई। 2. शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 516, दिनांक 24 जून, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवानियमावली, 2019 से पूर्व प्रचलित उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1966 के प्राविधानों अनुसार पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी शासन था। जिसके दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–214, दिनांक 27–02–2017 द्वारा पालिका केन्द्रियित सेवा के कर एवं राजस्व अधीक्षकों ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा कर एवं राजस्व निरीक्षकों ग्रेड वेतन रू0 2800/– की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन स्तर से जारी की गयी। उक्त सूची को निदेशालय के पत्र दिनांक 06–03–2017 द्वारा संबंधितों को शासन के आदेशों के क्रम में परिचालित किया गया। कतिपय कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सूची उन्हें प्राप्त नहीं हुई। पुनः उक्त सूची दिनांक 19–05–2017 को संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से परिचालित की गई। शासन द्वारा निर्गत उक्त ज्ञाप दिनांक 27 फरवरी 2017 के आलेख में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का उल्लेख है जबकि संलग्न सूची में अन्तिम ज्येष्ठता सूची (त्रुटिपूर्ण टंकण) अंकन है। स्पष्ट है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–02–2017 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर आपत्तियॉं आमंत्रित की गई। 3. शासन की अधिसूचना दिनांक 24–06–2019 द्वारा प्रख्यापित उक्त नियमावली–2019 के नियम–3क के अनुसार समूह ''ग'' के कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, शहरी विकास निदेशालय है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–-02–2017 पर प्राप्त समस्त

	अन्तिम रूप से निर्धारित वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 13 व 14 पर क्रमशः अंकित श्री राजेश कुमार नैथानी एव उत्तम सिंह को दिनांक 27–02–2017 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 01 व 02 पर क्रमशः अंकित श्री राजेश कुमार नैथानी एवं उत्तम सिंह दर्शाया गया है। 4- दिनांक 10–01–2017 को अन्तिम रूप से निर्धारित की जा चुकी वरिष्ठता सूची में फेरबदल कर दिनांक 27–02–2017 को पुनः वरिष्ठता सूची जारी की गयी। जबकि दिनांक 27 फरवरी 2017 में जारी की गयी उक्त वरिष्ठता सूची में ऐसा किये जाने का कोई आधार या कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। 5- दिनांक 10 फरवरी, 2017 को जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 1105/96 राम गणेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में पारित आदेश व पालिका केन्द्रियत सेवा नियमावली 1966 21 (क) 9 तथा नियम–24 में निहित प्राविधानों, उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 एवं उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता (प्रथम) संशोधन नियमावली–2009 के आधार पर ही अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्धारित की जा चुकी थी। पुनः 27 फरवरी 2017 को जारी वरिष्ठता सूची के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञाप में यही आधार दर्शाते हुए फिर से वरिष्ठता सूची पुनः निर्धारित कर दी गयी। यह पुनः निर्धारण किन कारणों से हुआ इसका काई उल्लेख उक्त कार्यालय ज्ञाप में नहीं है। 6- प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासनादेश संख्या–1108/9–4–99–21 75/96 दिनांक 20–03–1999 के द्वारा कर एवं राजस्व अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा हुई है एवं दिनांक 15–12–2005 को जारी की गयी वरिष्ठता सूची में प्रार्थी को तृतीय स्थान पर दर्शाया गया था तथा उक्त सूची में श्री राजेश नैथानी एवं उत्तम सिंह को तदर्थ नियुक्ति के रूप में पृथक से दर्शाया गया था। 7- यह स्थापित नियम है कि तदर्थ रूप से	आपत्तियों के संबंध में निदेशालय के पत्र दिनांक 1582 दिनांक 19–08–2020 द्वारा बिन्दुवार शासन को तथ्यों/स्थिति से अवगत कराते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक– 01 व 02 पर अंकित कार्मिकों की ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में शासन से दिशा–निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। **उपरोक्त के क्रम में शासन के पत्रांक 557, दिनांक 16–12–2020 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–185 दिनांक 10 फरवरी, 2017 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27–02–2017 के क्रमांक–01 पर अंकित कार्मिक श्री राजेश नैथानी एवं क्रमांक–02 पर अंकित कार्मिक श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एवं राजस्व निरीक्षक को शासन द्वारा उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमित करते हुए ज्येष्ठता निर्धारण की गई हैं। शासन द्वारा आदेश पारित किये गये कि क्रमांक– 01 एवं 02 पर अंकित कार्मिकों के संबंध में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2017 के आलोक में निराकरण कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जाये।** शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10–02–2017 द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24–12–2014 को निरस्त करते हुए श्री **राजेश कुमार नैथानी, एवं श्री उत्तम सिंह नेगी, कर एव राजस्व अधीक्षक को उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त के नियम–21 (क) नियम–23 एंव नियम–41 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की तिथि से स्थाई/विनयमित करते हुए समस्त लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।** इस प्रकार आपत्तिकर्ता की आपत्ति शासन के उपरोक्त निर्णय एवं शासन के पत्र दिनांक 16–12–2020 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उक्तानुसार निस्तारित की जाती हैं।

	नियुक्त कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण उसकी सेवा में नियमितिकरण की दिनांक से होता है। जिसके अनुसार दिनांक 10–01–2017 को अन्तिम रूप से जारी की गयी सूची में श्री राजेश नैथानी एवं उत्तम सिंह की वरिष्ठता क्रमशः 13 वे 14 वे क्रम पर निर्धारित हुई थी। 8- पुनः 27 फरवरी, 2017 को जारी सूची, जिस का ससमय परिचालन भी नहीं किया गया एवं उक्त जारी सूची में आपत्ति किये जाने हेतु दिये गये 15 दिन के समय समाप्ति के पश्चात् 19 मई, 2017 को उक्त सूची ईमेल द्वारा प्रेषित की गई तथा शासन द्वारा दिनांक 27–02–2017 को जारी वरिष्ठता सूची के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–02–2017 एवं निदेशालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 06 मार्च 2017 में वरिष्ठता सूची को अनन्तिम कहा गया है। वही संलग्न की गयी सूची दिनांक 27–02–2017 में इसे अन्तिम सूची दर्शाया गया है। महोदय से अनुरोध है कि उक्त जारी वरिष्ठता सूची में किन आधारों पर 10 जनवरी, 2017 में जारी अन्तिम सूची में बदलाव कर जारी किया गया हैं। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा स्थापित नियमों के विरूद्ध जाते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2017 को जारी वरिष्ठता सूची में बदलाव किया गया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 27 फरवरी को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या–1 व 2 पर दर्शाये गये कार्मिकों को दिनांक 10 फरवरी 2017 को अन्तिम रूप से निर्धारित सूची में उनकी निर्धारित वरिष्ठता क्रम संख्या–13 व 14 पर ही रखने की कृपा करे।	
3–श्री ईश्वर सिंह रावत कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर **(आपत्ति पत्र दिनांक 01–7–2020 एवं पत्र**	अन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित कर पत्र प्रकाशन के 15 दिन भीतर आपत्ति मांगी गयी थी। शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा मांगी गयी आपत्ति की सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी, जिस कारण प्रार्थी निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज नहीं करा पाया। प्रार्थी को सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वार दिनांक 30–05–2017 को पंजीकृत पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज की गय परन्तु अतिथि तक आपत्ति का निस्तारण नही किया गया है। महोदय उपरोक्त संबंध में पुनः अवगत कराना है कि उक्त पत्र द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रम सं0– 01 एवं 02	**क्रमांक–01 एवं 02 पर अंकित आपत्तिकर्ताओं के सम्मुख अंकित आपत्ति निस्तारण आख्या के अनुसार ही प्राप्त आपत्तिं तद्नुसार निस्तारित की जाती है।**

दिनांक 30–5–2017)	में उल्लिखित कर एवं राजस्व अधीक्षकों को पूर्व के अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा क्रम संख्या 13 व 14 में रखा गया था परन्तु दिनांक 27 फरवरी, 2017 के अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उन्हें प्रार्थी से उच्च क्रम में रखते हुए क्रम संख्या 01 व 02 में रखा गया है। चूकि प्रार्थी 2009 में प्रोन्नति के पश्चात् कर एवं राजस्व अधीक्षक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त है जबकि संबंधित अधिकारी, जिन्हें 01 एवं 02 में रखा गया है, पूर्व में तदर्थ रूप से नियुक्त थे तथा उन्हें 2016 में शासन द्वारा नियमित किया गया है जिस कारण प्रार्थी को वरिष्ठ क्रम में रखा जाना नियम व न्याय संगत है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूचना दिनांक 27 फरवरी, 2017 में मेरी आपत्ति को सम्मिलित करते हुए प्रार्थी को वरिष्ठ क्रम में रखते हुए अन्तिम सूची प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही यह भी निवेदन करना है कि कर निर्धारण अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति समिति गठित कर पदोन्नति करने की कृपा करेंगे।	
4– श्री राजदेव जायसी कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिक परिषद बागेश्वर **(आपत्ति पत्र दिनांक 06–07–2020)**	निदेशालय के पत्रांक 2328/श0वि0नि0/विविध ज्येष्ठता–37 (केन्द्री0रो0)/05 दिनांक 06–03–2017 पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि शहरी विकास विभाग द्वारा कर एवं राजस्व अधीक्षकों के अन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित कर पत्र प्रकाशन के 15 दिन के भीतर आपत्ति मांगी गयी थी। शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा मांगी गयी आपत्ति की सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई जिस कारण प्रार्थी निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज नहीं कर सका। अब संज्ञान में आने पर महोदय को अवगत कराना है कि राजस्व सेवा की ज्येष्ठता सूची का अन्तिम रूप से प्रकाशन दिनांक 10–01–2017 को किया जा चुका था। जिसकी सूचना प्रार्थी को डाक/अन्य माध्यम से प्राप्त हो गयी थी। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमांक संख्या 08 पर अंकित है। परन्तु प्राप्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थी का नाम क्रमांक–10 पर अंकित है। जिसके संबंध में मेरी क्रमांक 01 व 02 पर अंकित कार्मिकों की वरिष्ठता पर घोर आपत्ति है क्योंकि उक्त कार्मिकों का कर एवं राजस्व अधीक्षक पद पर 2014 में विनियमितिकरण हुआ	**क्रमांक–01 एवं 02 पर अंकित आपत्तिकर्ताओं के सम्मुख अंकित आपत्ति निस्तारण आख्या के अनुसार ही आपत्तिकर्ता की प्राप्त आपत्तिं तदनुसार निस्तारित की जाती है।**

	है जबकि अधोहस्ताक्षरी 2009 से कर एंव राजस्व अधीक्षक के पद पर स्थाई रूप से कार्यरत है इस कारण उक्त दोनों कार्मिक मुझसे कनिष्ठ है। अतः उक्त दोनों कार्मिकों को मेरे पश्चात् रखा जाये। इस के अतिरिक्त अवगत कराना है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते समय मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1105/96 रामगणेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17दिसम्बर, 1996 के दृष्टिगत एवं पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1996 (उत्तराखण्ड में यथा–प्रवृत्त) के नियम–21(क)(9) तथा नियम–24 में निहित प्राविधानों तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 उत्तराखण्ड, सराकरी ज्येष्ठता(प्रथम) संशोधन नियमावली–2009 में निहित प्राविधनों को दृष्टिगत रखते हुए ज्येष्ठता की निर्धारण किया गया था। परन्तु पुनः अनन्तिम सूची जारी करते समय उपरोक्त निर्णय/सेवानियमावली के प्राविधानों को उल्लेख करते हुए पुनः सूची जारी की गयी है। जो स्वयं में विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः अनन्तिम सूची में दर्शित क्रमांक संख्या'01 एवं 02 को मेरे पश्चात् अंकित किये जाने संबंधी/निर्देश संबंधित को देने का कष्ट करें।	
3– श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, कर एंव राजस्व अधीक्षक/ प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा। **(आपत्ति पत्र दिनांक 13–07–2020)**	शहरी विकास विभाग द्वारा कर एवं राज्स्व अधीक्षकों को अंन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करपत्र प्रकाशन के 15 दिन के भीतर आपत्ति मॉगी गयी थी। शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा मांगी गयी आपत्ति की सूचना प्रार्थी को नही दी गयी, जिस कारण प्रार्थी निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज नहीं कर पाया। अब संज्ञान में आने पर महोदय को सादर अवगत कराना है कि राजस्व सेवा की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप से प्रकाशन दिनांक 10–01–2017 को किया जा चुका था, जिसकी सूचना प्रार्थी को डाक/अन्य माध्यम से प्राप्त हो गयी थी, जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमांक 09 पर अंकित है। परन्तु प्राप्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से प्रार्थी का नाम क्रमांक–11 पर अंकित है। जिसके संबंध में मेरी क्रमांक– 01 एवं 02 पर अंकित कार्मिकों की वरिष्ठता पर घोर आपत्ति है, क्योंकि उक्त कार्मिक का कर एव राजस्व अधीक्षक पद पर	**क्रमांक–01 एवं 02 पर अंकित आपत्तिकर्ताओं के सम्मुख अंकित आपत्ति निस्तारण आख्या के अनुसार ही आपत्तिकर्ता की प्राप्त आपत्तिं तद्नुसार निस्तारित की जाती है।**

	2014 में नियमितीकरण हुआ है। जबकि अधोहस्ताक्षरी 2009 से कर एवं राजस्व अधीक्षक के पद पर स्थाई रूप से कार्यरत है। इस कारण उक्त दोनों कार्मिक मुझसे कनिष्ठ है। इसलिए उक्त दोनों कार्मिकों को मेरे पश्चात् रखा जाये। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करते समय मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–1105/96 राम गणेश त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मं परित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 के दृष्टिगत एवं पालिका केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1996 (उत्तराखण्ड में यथा–प्रवृत्त) के नियम–21 (क) (9) तथा नियम–24 में निहित प्राविधानों तथा उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–2002 उत्तराखण्ड सरकारी ज्येष्ठता (प्रथम) संशोधन नियमावली–2009 में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए ज्येष्ठता का निर्धारण किया गया था, परन्तु पुनः अन्तिम सूची जारी करते समय उपरोक्त निर्णय/सेवा नियमावली के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए पुनः सूची जारी की गयी है, जो स्वयं में विरोधाभास उत्पन्न करती है।	

3– अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 20–2–2017 पर प्राप्त उक्त आपत्तियों का उक्तानुसार निस्तारण/निस्तारित करते हुए उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली, 2019 के नियम–03(क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के दृष्टिगत उक्त नियमावली–2019 के नियम–22 एवं अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अन्तर्गत कर एवं राजस्व अधीक्षकों एवं कर एवं राजस्व निरीक्षकों की एतद्द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है।

संलग्नः–ई0 अन्तिम ज्येष्ठता सूची संख्या I/3379/2021।

Digitally signed by VINOD KUMAR SUMAN
Date:Fri Jan 15 14:41:41 IST 2021
Reason: Approved

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

I/3378/2024–

4– सम्बन्धित निकायों के नगर आयुक्त/अध्यक्ष।

5– सम्बन्धित कर एवं राजस्व अधीक्षक/कर एवं राजस्व निरीक्षक।

6– संबंधितों की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।

7– श्री चन्द्र प्रकाश रावत, विशेषज्ञ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

8– गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

पालिका राजस्व सेवा संवर्ग के कर एवं राजस्व अधीक्षकों (ग्रेड वेतन रू0 4200/–) एवं कर एवं राजस्व निरीक्षकों (ग्रेड वेतन रू0 2800/–) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	जन्मतिथि	भर्ती का श्रोत	संवर्ग में मौलिक/नियमित नियुक्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राजेश कुमार नैथानी	कर एवं राजस्व अधीक्षक	एम0ए0	21–01–1967	तदर्थ	28–02–1996	कार्यरत
2	श्री उत्तम सिंह	तदैव	स्नातक	03–05–1970	तदर्थ	28–02–1996	तदैव
3	श्री विजय प्रताप सिंह चौहान (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0, बी0एड	10–02–1967	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
4	श्री अजहर अली (पि0जाति)	तदैव	स्नातक	04–11–1973	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
5	श्री सुशील कुमार कुरील (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0, एल0एल0बी0	17–11–1970	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
6	श्री संजय कुमार (अनु0जाति)	तदैव	स्नातक	25–06–1971	सीधी भर्ती	05–04–1999	तदैव
7	श्री महेन्द्र कुमार यादव (पि0जाति)	तदैव	एम0ए0	03–04–1971	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
8	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (पि0जाति)	तदैव	एम0ए0	10–03–1968	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
9	श्री राजदेव जायसी (अनु0जाति)	तदैव	स्नातक	12–07–1971	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
10	श्री श्यामसुन्दर प्रसाद (अनु0ज0जाति)	तदैव	स्नातक	04–04–1974	सीधी भर्ती	20–03–1999	तदैव
11	श्री ईश्वर सिंह (अनु0ज0जाति)	तदैव	एम0ए0	05–07–1975	सीधी भर्ती	04–06–1999	तदैव
12	सुश्री सुनीता सक्सैना	तदैव	एम0ए0	27–09–1970	सीधी भर्ती	12–05–1999	तदैव
13	श्री मनोज दास (अनु0जाति)	तदैव	बी0ए0	15–01–1966	तदर्थ/सीधी भर्ती	04–12–2003	तदैव
14	श्री रमेश सिंह रावत	तदैव	एम0ए0	30–06–1983	सीधी भर्ती	30–03–2015	तदैव
15	सुश्री पूनम रावत	तदैव	एम0एस0सी0, बी0एड0	08–09–1984	सीधी भर्ती	28–02–2015	तदैव
16	श्री राहुल कैन्थोला	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0, बी0टी0सी0	25–09–1981	सीधी भर्ती	28–02–2015	तदैव

17	श्री धर्मेश पैन्यूली	तदैव	बी0ए0, बी0एड0	27—12—1985	सीधी भर्ती	28—02—2015	तदैव
18	श्री विनय प्रताप सिंह	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0,	29—10—1984	सीधी भर्ती	28—02—2015	तदैव
19	श्री महेश चन्द्र पाठक	तदैव	एम0ए0	05—08—1973	सीधी भर्ती	28—02—2015	तदैव
20	श्री अजय कुमार अष्टवाल (अनु0जाति)	तदैव	बी0टैक	01—07—1982	सीधी भर्ती	30—03—2015	तदैव
21	कु0 निशात अंसारी	तदैव	बी0कॉम,एम0ए0	17—02—1989	सीधी भर्ती	28—02—2015	तदैव
22	कु0 लता आर्या (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0, एम0एड0	22—07—1977	सीधी भर्ती	28—02—2015	तदैव
1	श्री अनिल कुमार पन्त	**कर एवं राजस्व निरीक्षक**	बी0कॉम	30—06—1974	सीधी भर्ती	24—12—2014	तदैव
2	सुश्री शिखा आर्या (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0, बी0एड0	17—05—1986	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
3	सुश्री प्रियंका रैक्वाल	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0, बी0एड0	06—10—1984	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
4	श्री मोहित पाठक	तदैव	बी0एस0सी0, एम0एस0सी0	01—01—1987	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
5	श्री रविन्द्र सिंह पंवार	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0	09—09—1976	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
6	श्रीमती अनुराधा गुप्ता	तदैव	एम0कॉम, एम0ए0	07—07—1978	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
7	श्रीमती मनीषा गोस्वामी	तदैव	बी0एस0सी0, बी0एड0	21—08—1988	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
8	श्री गिरीश चन्द्र सेमवाल	तदैव	बी0टेक0	06—04—1987	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
9	श्री भरत त्रिपाठी	तदैव	एम0एस0सी0, बी0एड0	27—10—1987	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
10	श्री अनिरूद्ध सिंह चौधरी	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0	25—04—1980	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
11	श्रीमती अनुपमा गार्ग्य भट्ट	तदैव	एम0एस0सी0, बी0एड0	26—11—1980	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
12	श्री अनिरूद्ध गौड़	तदैव	एम0एस0सी0,	01—06—1989	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
13	श्री लक्ष्मीकान्त	तदैव	एम0एस0सी0,	04—01—1986	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव
14	श्रीमती कुलदीप सिंह (ओ0बी0सी0)	तदैव	बी0एस0सी0	20—07—1975	सीधी भर्ती	06—05—2015	तदैव

15	श्री रमेश दत्त पाठक	तदैव	बी0ए0	17–06–1982	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव
16	श्री दीपेन्द्र बमोला	तदैव	एम0एस0सी0	16–04–1987	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव
17	श्रीमती मंजू देवी (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0	02–06–1987	सीधी भर्ती	20–06–2015	तदैव
18	श्रीमती सुधा यादव	तदैव	बी0ए0	04–08–1986	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव
19	श्रीमती सीमा यादव(ओ0बी0सी0)	तदैव	एम0एस0सी0	12–03–1987	सीधी भर्ती	20–06–2015	तदैव
20	श्री संजय (ओ0बी0सी0)	तदैव	एम0ए0, बी0एड0	05–03–1986	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव
21	सुश्री पूजा (अनु0जाति)	तदैव	बी0ए0	22–01–1987	सीधी भर्ती	20–06–2015	तदैव
22	सुश्री गायत्री देवी (अनु0जाति)	तदैव	एम0ए0, बी0एड0	30–08–1980	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव
23	श्री नवीन कुमार (अनु0जाति)	तदैव	बी0एस0सी0, एम0ए0,बी0एड0	15–02–1974	सीधी भर्ती	06–05–2015	तदैव

Digitally signed by VINOD KUMAR SUMAN
Date:Fri Jan 15 14:43:33 IST 2021
Reason: Approved

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।